न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

धारा 16(3) अन्तर्गत अग्रक्रय (सीलिंग) अपीलवाद संख्या–75/2018

राम उदगार यादव –बनाम– ब्रह्मदेव यादव एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और ता०/ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
20/8/2019	**आदेश** प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के अग्रक्रय (Pre-emtion) वाद सं0–06/2017–18 (ब्रह्मदेव यादव बनाम राम उदगार यादव एवं अन्य) में दिनांक 28.03.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी राम उदगार यादव द्वारा दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए संबंधित पक्षकार को नोटिस निर्गत करने तथा निम्न् न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त निदेश के आलोक में निम्न् न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी राम उदगार यादव के द्वारा क्रय की गयी भूमि के विरूद्ध प्रत्यर्थी सं0–1 ब्रह्मदेव यादव के द्वारा धारा 16(3) के अधीन अग्रक्रय से संबंधित वाद सं0–06/2017–18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के न्यायालय में दायर किया गया। उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा वर्त्तमान वाद दायर किया गया है। उल्लेखनीय है कि भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम–1962 की धारा 16(3) को विधि विभाग की अधिसूचना सं0–एल0जी0–01–15/2018/1569/लेज दिनांक 25.02.19 के माध्यम से तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त एवं संशोधित करते हुए अग्रक्रयाधिकार के दावा को उपशमित कर दिये जाने का निदेश प्राप्त है। अतः उपरोक्त विभागीय निदेश के आलोक में प्रत्यर्थी सं0–1 ब्रह्मदेव यादव का अग्रक्रय का अधिकार उपशमित करते हुए इस वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। प्रत्यर्थी सं0–01 ब्रह्मदेव यादव प्रस्तुत वाद के उपशमित होने के फलस्वरूप जमा की गयी राशि को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	

D:\2019\General Court Order\Ram Udgar Yadav 75_2018_16(iii).doc